राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

क्रमांक : शैक्षणिक–द्वितीय/2025/4383 दिनांक : 29/03/25

–: आवश्यक संशोधित दिशा निर्देश :–

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव
1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अकादमिक (डिग्री) महाविद्यालय

महोदय/महोदया,

1. आपको सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता अवधि में अभिवृद्धि की जाने हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश क्रमांक शैक्षणिक द्वितीय/2025/1068 दिनांक 13.02.2025 के दिशा निर्देशों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में जमा करवाये जा चुके हैं।
2. समस्त महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय नियामक संस्थाओं (NCTE,RCI,AICTE etc.)/राज्य सरकार/राजस्थान विश्वविद्यालय (जो भी लागू हो) द्वारा निर्धारित किए गए प्रावधानानुसार नियमित चयन प्रक्रिया के तहत महाविद्यालयों में संचालित किए जा रहे समस्त पाठ्यक्रमों के अध्यापन कार्य हेतु समुचित संख्या में योग्य (Qualified) शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
3. अस्थायी सम्बद्धता के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय निदेशालय कॉलेज शिक्षा के आदेश क्रमांक–एफ.24 (NOC 24-25)/बी.एड./आकाशि/2024/65 दिनांक 13.03.2024 के बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित है–

   ''निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाईट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी'' –

   (i) एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश
   (ii) राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
   (iii) अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
   (iv) संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी विनियम 2014 के क्रम में नोटिफिकेशन दिनांक 28.11.2024 के विनियम संख्या 10(2) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये निम्नलिखित प्रावधानों का अनुसरण शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है :–

   ''संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टॉफ को संबंधित सरकार अथवा बोर्ड अथवा सम्बद्धता प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता को चैक द्वारा अथवा बैंक इस प्रयोजनार्थ के लिए विशेष रूप से खोले गये बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जायेगा। संस्थान कर्मचारियों को वेतन के भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि का पूरा रिकॉर्ड रखेगा जिसके विवरण स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में दिये जा सकते हैं और जिनका परिषद् अथवा राज्य सरकार अथवा सम्बद्धता प्रदान करने वाले निकाय द्वारा कभी भी सत्यापन किया जा सकता है।''
5. राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट 26(A & B) के अन्तर्गत सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों में प्राचार्य व शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में चयन समिति के गठन, विषय विशेषज्ञों के

मनोनयन एवं चयन समिति की अनुशंषाओं का विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन किये जाने के प्रावधान है।

6. फेडरेशन ऑफ राजस्थान एजुकेशन कॉलेजेज द्वारा दायर याचिका एसबी सिविल रिट क्रमांक 6380/2024 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 में निम्न निर्देश जारी किये गये हैं–

   "The respondent-University shall be at liberty to carry out inspection, if so required, confined only to the aforesaid information".

7. उक्तानुसार समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि 7 अप्रैल 2025 तक उक्त समस्त सूचनायें महाविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें एवं विश्वविद्यालय वेबसाईट www.uniraj.ac.in के Academics section में Affiliated College Website link पर प्रदान करें।

   उक्त तिथि के पश्चात् महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचनायें स्वीकार्य नहीं होंगी। सूचित रहे कि प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंषाओं के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनुमोदन पत्रों एवं तत्पश्चात् सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्रों की प्रतिलिपियाँ अनिवार्यतः वेबसाईट पर अपलोड करें।

8. दिनांक 07 अप्रैल, 2025 के पश्चात् विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों का बिन्दु क्रमांक 3, 4 व 5 में उल्लेखित वेबसाईट पर अपलोड की गई सूचनाओं का परीक्षण किया जायेगा और आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2024 के दायरे में महाविद्यालय का भौतिक निरीक्षण भी किया जायेगा।

9. जिन सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य शिक्षक एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति हेतु गठित की गयी चयन समितियों की अनुशंषाओं के अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में दिनांक 28.02.2025 तक प्रस्तुत किये हुये हैं, उन महाविद्यालयों की सम्बद्धता में अभिवृद्धि के क्रम में पत्रावलियों का परीक्षण उनके आवेदन पत्रों के विश्वविद्यालय द्वारा निस्तारण कर दिये जाने की तिथि से एक सप्ताह बाद ही होगा। ऐसे महाविद्यालय प्राचार्य, शिक्षक एवं स्टाफ के क्रम में सूचनायें अपनी वेबसाईट पर विश्वविद्यालय से उनके आवेदन पत्रों के निस्तारण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपलोड कर विश्वविद्यालय के उपरोक्त अंकित लिंक पर उपलब्ध करवा सकेंगे।

उक्तानुसार समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अल्का 29/03/25

(अल्का बालोदिया)
सहायक कुलसचिव, शैक्षणिक–2

क्रमांक : शैक्षणिक–द्वितीय/2025/4384–5034

दिनांक : 29/03/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीया कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Sandeep 29.03.25

(संदीप कुमार वर्मा)
अनुभागाधिकारी, शैक्षणिक–2